10.5.22 पत्रावली पेश हुई। वकील महाकारण उपस्थित।
वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 91 रा.टी.ए.
वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया गया। निर्णय
पृथक से टंकित कराया जाकर आगामी कार्यवाही
किया गया। पत्रावली फोलिया नम्बर होकर नम्बर
से नाम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2022.06.14 13:05:30 IST
Reason: SelfAttested